

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-549) अलेसे- I/1061

दिनांक:- 31/08/2022

आदेश संख्या:- 63/2022-23

श्री मितेश शाह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। (लिनक नं० 9414), कार्यालय उपकोषाधिकारी, सागवाड़ा (डूंगरपुर) के विरुद्ध राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चितरी जिला डूंगरपुर द्वारा प्रस्तुत 11 कूट रचित वेतन एरियर बिल कुल राशि 2,65,79,438/- रु. के अनियमित भुगतान के क्रम में ऑडिटर श्री शाह को प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होना माना गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में श्री मितेश शाह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय उपकोषाधिकारी, सागवाड़ा (डूंगरपुर) को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में उनका मुख्यालय कोषालय, उदयपुर (ग्रामीण) में रहेगा।

श्री मितेश शाह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-। को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।


(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-549) अलेसे- I/1062-1073

दिनांक:- 31/08/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 2 कोषाधिकारी, डूंगरपुर/उदयपुर (ग्रामीण)।
- 3 उपकोषाधिकारी, सागवाड़ा (डूंगरपुर)।
- 4 श्री मितेश शाह, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।, कार्यालय उपकोषाधिकारी, सागवाड़ा (डूंगरपुर)।
- 5 उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
- 6 निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- 7 जाँच शाखा/एसीआर शाखा/डीपीसी शाखा/पदस्थापन सीट।
- 8 श्री महेन्द्र गोयल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-।
- 9 रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)